उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या- 21/2021/2160/92-2-21-10जांच/2019
लखनऊ :: दिनांक:: 19 मार्च, 2021

**कार्यालय-ज्ञाप**

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनान्तर्गत जनपद-कासगंज के पैकेज संख्या-2164 अमापुर से शिडपुरा मार्ग कि0मी0 (8.00 से 15.225) के अनुबंध संख्या-17/एस0ई0/2009-10 दि0 20.10.2009 का कार्य दिनांक 05.08.2010 को पूर्ण होने के उपरांत उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 सामान्य (1) एवं (2) के अंतर्गत अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वाहन न करने, पद का दुरूपयोग करने, उ0प्र0 शासन के आदेशों के अनुरूप पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा-निर्देशो/ शासनादेशों/वित्तीय नियमों तथा एक तरफ अनुरक्षण न कराये जाने के लिए अनुबंध निरस्त करने की संस्तुति करने व दूसरी तरफ उसी अवधि का अनुरक्षण कार्य मद में ठेकेदार को पॉचवे छमाही का अंकन रू0 1,25,083.00 का भुगतान किये जाने, अनुबंध शर्त एवं उच्चादेशों के क्रम में धनराशि जब्तीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जाने, कार्य का अधिशासी अभियंता के रूप में निरीक्षण करते हुये समयान्तर्गत आख्या न देने, मार्ग के अनुरक्षण कार्य के लिए रू0 23.75 लाख स्वीकृत कराकर सुनियोजित रूप से गबन करने का प्रयास किये जाने एवं उ0प्र0 सरकार की परिसम्पत्ति जो अधिशासी अभियंता के स्वामित्व में था, उस मार्ग पर सरकार का संज्ञान लाए बिना निरकुंश रूप से गुमनाम एजेन्सी से कार्य कराये जाने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1075/92 -2-2020-10जांच/2019 दिनांक 02-06-2020 द्वारा श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-कासगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देते हुये उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जॉच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता (पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या के सम्यक परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी, श्री जब्बार हुसैन जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.07.2019 को सेवानिवृत्त हो गये है। श्री जव्वार के विरूद्व अधिरोपित कुल 04 आरोपों में से कोई भी आरोप जॉच अधिकारी की विवेचना में प्रमाणित नही पाया गया है। अत: जांच अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-कासगंज सम्प्रति सेवानिवृत्ति के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1075/92-2-2020-10जांच/2019 दि0 02-06-2020 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को दण्ड रहित समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या-21/2021/2160(1)/92-2-2021 तददिनांक।**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

**2-** श्री जब्बार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0-कासगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( रमाकान्त शुक्ल )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।